फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

कविता शर्मा **बनाम** कुलदीप शर्मा व अन्य

किस्म मुकदमा:–88–188–209 आर.टी.ए. प्रकरण सं.:– 359/2024 (GCMS 2024/721)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.12.2025	पत्रावली वास्ते आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के निर्णय हेतु पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी (प्रतिवादी नं0 4) ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि वादी द्वारा जैरवाद रकबा चक 15 एसएचपीडी प0न0 109/361 कि0न0 1 ता 25 = 25–00 बीघा, प0न0 108/361 कि0न0 9 ता 11, 19 ता 22 = 7–00 बीघा कुल 32–00 बीघा यानि 8.096 है0 भूमि को पैतृक सम्पति दर्ज कर वादपत्र पेश किया गया हैं। जबकि उक्त रकबा पूर्व में मोहनलाल पुत्र श्री जवाहरलाल जो कि वादी का दादा एवं प्रतिवादी नं0 1 का पिता हैं, के नाम से था। स्व0 मोहनलाल द्वारा अपने जीवनकाल में जैरवाद रकबा की पंजीकृत वसीयत प्रतिवादी नं0 1 के नाम से की थी। स्व0 मोहनलाल के देहान्त होने पर सक्षम न्यायालय में पंजीकृत वसीयत अनुसार प्रतिवादी नं0 1 के नाम से नवीन इन्तकाल नं0 311 दर्ज हुआ। जो कि दिनांक 09.02.2015 को स्वीकृत हुआ। इस प्रकार प्रतिवादी नं0 1 को जैरवाद रकबा जरिये वसीयत प्राप्त हुआ हैं। कानूनन वसीयत के माध्यम से प्राप्त रकबा स्वअर्जित श्रेणी में आता हैं। अपनी कथन की पुष्टि में आरआरटी 2017(2) पैज नं0 1454 एस.सी पेश की। प्रार्थी (प्रतिवादी नं0 4) ने आगे निवेदन किया कि प्रतिवादी नं0 1 द्वारा अपनी स्वअर्जित जैरवाद भूमि में से 3.795 है0 भूमि को दिनांक 30.04.2021 एवं 3.542 है0 भूमि दिनांक 12.01.2023 को अपनी विधिक आवश्यक्ताओ की पूर्ति हेतु जरिये बैयनामा बैचान कर कब्जा वरवक्त बैयनामा क्रेता प्रार्थी को सम्हला दिया। दोनो बैयनामाजात एक रजिस्टर्ड दस्तावेज हैं एवं स्वअर्जित भूमि के किये गये हैं। वादी ने जिसे अपने वादपत्र की मद सं0 7 में धोखे से करवाना बताया हैं। इसलिये दोनो दस्तावेज शून्य दस्तावेज की श्रेणी में ना होकर शून्यकरणीय दस्तावेज की श्रेणी में आते हैं। जिसे निरस्त करने का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय को ना होकर सिविल न्यायालय को हैं। अतः वादी द्वारा वादपत्र क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर पेश किया गया हैं। जो कि काबिल खारीज योग्य हैं। अपनी कथन की पुष्टि में आरएलडब्लयु 2018(2) पैज नं0 1007 एच.सी पेश की। आगे निवेदन किया कि प्रतिवादी नं0 1 द्वारा जैरवाद रकबा में से 3–00 बीघा रकबा का बैचान जेतु खां [illegible] नामान्तरण राजस्व रिकार्ड में क्रेता जेतु खां पुत्र सराज खां [illegible] हो चुका हैं एवं प्रार्थी (प्रतिवादी नं0 04) द्वारा [illegible] एचडीएफसी बैंक के रहन रखकर ऋण उठा रखा हैं। क्रेता जेतु खां व एचडीएफसी बैंक दोनो आवश्यक पक्षकार हैं। जिन्हे वादी द्वारा अपने वा[illegible] में पक्षकार नही बनाया हैं। अतः आवश्यक पक्षकार के अभाव में भी वादी का दावा खारीज योग्य हैं।	

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.29 12:20:00 IST
Reason: SelfAttested

24.12.2025

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी का दावा विधि विरूद्व, क्षैत्राधिकार विहीन होने तथा आवश्यक पक्षकार के अभाव में खारीज फरमाया जावें।

वकील वादी द्वारा प्रत्युत्तर में निवेदन किया जैरवाद रकबा पैतृक सम्पति हैं। जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा बनता हैं। प्रतिवादी नं0 1 द्वारा प्रतिवादी नं0 4 के पक्ष में जो बैयनामें करवाये हैं। वोह पैतृक सम्पति के होने के कारण शून्य दस्तावेज की श्रेणी में आते हैं। जिसको सुनने का अधिकार राजस्व न्यायालय को हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निराधार एवं न्याय में बाधक होने के कारण खारीज फरमाया जावें।

दोनो पक्षो की बहस सुनने के पश्चात् पत्रावली में शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रार्थी (प्रतिवादी नं0 4) द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ इन्तकाल नं0 311 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की हैं। जिसके कॉलम नं0 14 में वसीयत का उल्लेख हैं। जिससे यह तथ्य निर्विवाद हैं कि जैरवाद रकबा प्रतिवादी नं0 1 को जरिये वसीयत अपने पिता से मिला हैं। जो कि प्रतिवादी नं0 1 का स्वअर्जित रकबा हैं। जिसे प्रतिवादी नं0 1 किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को रहन व बैचान करने हेतु स्वतन्त्र हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीर आरआरटी 2017(2) पैज नं0 1454 एस.सी इस प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पा होती हैं। इसलिये प्रतिवादी नं0 1 द्वारा अपनी विधिक आवश्यक्ताओ के लिये जैरवाद रकबा जरिये बैयनामा प्रतिवादी नं0 4 को बैचान किया हैं। वादी द्वारा अपने वादपत्र में बैयनामा धोखे से करवाने का उल्लेख किया हैं। धोखे व छल से करवाये गये दस्तावेज शून्य दस्तावेज ना होकर शून्यकरणीय दस्तावेजो की श्रेणी में आते हैं। जिस पर विचारण करने का अधिकार इस न्यायालय को ना होकर सिविल न्यायालय को हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीर आरएलडब्लयु 2018(2) पैज नं0 1007 एच.सी इस प्रकरण पर लागू होती हैं। इसके अलावा वादी द्वारा अपने वादपत्र में केता जेतू खां व एचडीएफसी बैंक जो कि आवश्यक पक्षकार हैं। इनको वादपत्र में बतौर पक्षकार नही बनाया हैं। इसलिये भी वादी का वादपत्र आवश्यक पक्षकार के अभाव में चल नही सकता हैं।

अतः प्रार्थी (प्रतिवादी नं0 4) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाता हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र विधि विरूद्व एवं क्षैत्राधिकार विहीन होने के कारण खारीज फरमाया जाता हैं। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर फरमाई जावें।

निर्णय आज खुले न्यायालय में स[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.29 12:20:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] कलक्टर एवं
सूरतगढ़ (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(ओ.21 रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

–:परचा डिकी:–

न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0

(बइजलास : श्रीमान भरत जयप्रकाश मीना, आई.ए.एस.)

–अनवान–

कविता शर्मा पत्नी श्री दीपक जोशी पुत्री श्री कुलदीप शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी हाउस नं0 73, सुदामा नगर–।।, नजदीक खाटू श्याम मंदिर श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

...वादी

बनाम

1. कुलदीप शर्मा पुत्र श्री मोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी फरीदसर हाल आबाद वार्ड नं0 30 सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. अंकिता पत्नी श्री शुभम सोमानी पुत्री श्री कुलदीप शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नं0 17/31 सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. दिव्या शर्मा पत्नी श्री आशुतोष व्यास पुत्री श्री कुलदीप शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नं0 7 लोहिया चौक नोहर जिला हनुमानगढ राजस्थान।
4. रामअवतार सारस्वत पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी चक 1 जीबी ए जैतसर तहसील श्री विजयनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ।
6. उप–पंजीयक राजस्व सूरतगढ।

...प्रतिवादीगण

वादपत्र धारा 88–188–209 आर.टी.एक्ट मुकदमा नं0 359 वर्ष 2024 में यह मुकदमा पेश होने पर पर वास्ते इनफिलास कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील उभयपक्ष हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता हैं व डिकी जारी की जाती हैं कि:–

प्रतिवादी नं0 04 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वाद वादी विधि विरूद्व एवं क्षैत्राधिकार विहीन होने के कारण खारीज फरमाया जाता हैं।

नोज..... ..... मुबलिग..... .....बाबत..... ..... खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशरह..... .....फस्दो की पालना ....आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 24.12.2025 को जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (सूरतगढ़ राज.)
जिलाधीश एवं
उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.29 12:20:00 IST
Reason: SelfAttested